न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 139/2022

1 गजानन्द पुत्र सुरजा जाति बलाई निवासी गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रतनलाल पुत्र गोविन्दा।
2 श्रवण पुत्र गोविन्दा।
3 रोहिताश पुत्र गोविन्दा।
4 बिमला पत्नी राजू।
5 पिन्टू पुत्र राजू।
6 पवन पुत्र राजू।
7 विकम पुत्र राजू।
8 संजय पुत्र राजू।
9 माया पुत्री राजू।
10 दशरथ पुत्र सुरजा।
11 शायर पुत्र सुरजा।
12 ताराचन्द पुत्र ओमप्रकाश पुत्र सुरजा समस्त जाति बलाई निवासीगण गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
13 तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर पीठासीन अधिकारी ब्रहम्लाल आर.ए.एस. प्रार्थना पत्र संख्या 69/2013 बउनवानी रतनलाल आदि बनाम गजानन्द आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांकित 07.05.2018

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सीताराम, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.05.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 69/2013 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 13 को अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार बनाते हुए अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण ग्राम गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के स्थायी निवासी है तथा प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1928 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 2004 रकबा 1.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 2005 रकबा 1.25 हैक्टर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अवस्थित है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 2004 व खसर नम्बर 2005 में पीढियों से अपने गांव गढटकनेत रास्ता खसरा नम्बर 1993 से होते हुए सिवाय चक खसरा नम्बर 2001/2236 से होते हुए अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2004 व 2005 में चले जाते है और इस प्रकार उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग पीढियों से करते आ रहे है तथा इसी रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमियों में जने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2001 प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2005 के पश्चिम में अवस्थित है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के उत्तर में खसरा नम्बर 2001/2236 सिवाय चक की भूमि है जिसे अप्रार्थीगण ने अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है, जिस बाबत अप्रार्थी संख्या 5 को शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 सिवाय चक की भूमि खसरा नम्बर 2001/2236 पर अवैध रूप से कब्जा करने के पश्चात प्रार्थीगण का रास्ता जो सदैव से था भूमि खसरा नम्बर 2004, 2005 में जाने का बन्द कर दिया और प्रार्थीगण अपनी भूमि में जाने से वंचित करते है, अप्रार्थीगण को बार बार कहने पर भी रास्ता नहीं खोलते है तथा धमकी देते है कि इधर से कोई रास्ता कटान में नही है, इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 सरकारी जमीन पर कब्जा करके प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2004, 2005 में जाने से वंचित कर रहे है। भूमि खसरा नम्बर 2001/2236 सिवाय चक की है तथा खसरा नम्बर 1993 रास्ता है, उक्त रास्ते से सिवाय चक भूमि खसरा नम्बर 2001/2236 में से रास्ते का कटान कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2004 व 2005 में जाने का रास्ता जो अप्रार्थीगण 1 ता 4 ने बंद कर रखा है खुलवाने के लिए आवेदन पेश किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 द्वारा प्रस्तुत किए उक्त आशय के प्रार्थना पत्र में योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.05.2016 को इस आशय का आदेश पारित कर दिया गया कि खसरा नम्बर 2001/2236 सिवाय चक में से 4 मीटर X 116 मीटर अर्थात 464 वर्गमीटर भूमि गैर मु. रास्ता दर्ज किया जावे। इससे व्यथित होकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की विधिवत तामील नहीं हुई है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 2001/2236 पर अपीलांट का कब्जाकाश्त है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही/नियमितिकरण की कार्यवाही लम्बित है। आवेदक ने भी अपीलांट का कब्जा माना है। मौका रिपोर्ट से पूर्व भी अपीलांट को नोटिस नहीं दिया गया है। मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अपीलांट आवश्यक पक्षकार है। इसके उपरांत भी विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार हटा दिया गया है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए धारा 5, धारा 96 एवं अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 2001/2236 सिवायचक भूमि में से रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार आईएलआर से रिपोर्ट प्राप्त कर निकटतम रास्ता दिया गया है। अपीलांट का सिवायचक भूमि में कोई विधिक हक अधिकार नहीं है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 2001/2236 सिवायचक भूमि में से रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार आईएलआर से रिपोर्ट प्राप्त कर निकटतम रास्ता दिया गया है। अपीलांट का सिवायचक भूमि में कोई विधिक हक अधिकार नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना प्रकट नहीं होता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 व धारा 5 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर